98/16 किशन बनाम हनुमान वगै. धारा-251 ए

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	2/9/21	पत्रावली ... । सुनवाई कार्य ... ों के कारण कार्य ... जा सकी पत्रावली 25/10/21 को पेश
पुत्रे आज्ञा रामप्रताप प्रार्थी बाबूलाल अप्रा. (हस्ताक्षर) सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा पातलवास पंचायत समिति बस्सी (जयपुर)	6/10/21	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प राजपुरा पातलवास में पेश हुई। प्रार्थी रामप्रताप व अप्रार्थी बाबूलाल उपस्थित। प्रार्थी व अप्रार्थी की पक्षों की बहस पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तहसीलदार बस्सी से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने व तहसीलदार बस्सी की रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2070-73 एवं 2074 से 77 से स्पष्ट है कि प्रार्थी के हिस्से की जमीन का रकबा करीब करीब रोड से लगता हुआ है प्रार्थी उक्त रोड से लगते हुए रकबे से आने जाने में व अपनी जमीन तक आने जाने में कोई रास्ते की बाधा नहीं है। प्रार्थी की समस्त भूमि का रकबा भी इतना बड़ा है कि उसको ख.नं. 493 में से: जो मु बाड़ा के लिए रास्ते की आवश्यकता हो। फिर प्रार्थी जिस गैर खातेदार से रास्ता चाह रहा है वह फौत हो चुका है उसका अभी तक नामान्तकरण भी नहीं खुला है। प्रार्थी द्वारा रास्ते की दिलीय कृषि भूमि से न चाह कर गैर मुमकिन बाड़े से

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	चाही है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए की श्रेणी में नहीं आता है उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा ख.नं. 483 में आने जाने हेतु चाही गयी रास्ते की डिक्री, प्रार्थी के पास अन्य भूमि जिसका वह रिकार्डेड खातेदार है में से रास्ता लगता हुआ होने एवं ख.नं. 493 की किस्म गै.मु.बाड़ा होने एवं ख.नं. 493 के मूल खातेदार के फौत होने एवं उनके वारिसान के नाम नामान्तकरण नहीं खुलने से तथा प्रार्थी द्वारा कृषि भूमि के रास्ते से डिक्री न चाह कर गै.मु. बाड़े की भूमि में से रास्ते की डिक्री चाही है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए की श्रेणी में नहीं आने से प्रार्थी को चाही गयी डिक्री दिया जाना उचित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आवेदन का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आज दिनांक 6.10.21 को यह निर्णय प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत राजपुरा पातलवास में खुले आम सुनाया गया। उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बस्सी जिला-जयपुर	